फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1, किशनगढ अजमेर (राज0)

श्रीमती घमला देवी बनाम चौथू व अन्य

दीवानी वाद संख्या 30/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.11.2024	वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांकित 23.07.2024 सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया/वादिया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 चौथू की स्वर्गवास की जानकारी पूर्व लंबित वाद संख्या 35/15 के विचारण के दौरान नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त चूंकि प्रार्थीया/वादिया, अप्रार्थीगण के साथ निवास नहीं करती है इसलिए उसे चौथू के स्वर्गवास की जानकारी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया ने सहवन से चौथू का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में अंकित कर दिया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 चौथू के समस्त वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 चौथू का नाम हस्तगत वाद से विलोपित किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 चौथू का स्वर्गवास की जानकारी वादिया को प्रारंभ से ही थी, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 चौथू वादिया के रिश्ते में जेठ लगता है। वादिया ने यह प्रार्थना पत्र अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 चौथू का स्वर्गवास वाद के लंबित रहने के दौरान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र गलत विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है। परिणामतः यह प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे पर अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रतिवादी संख्या 1 चौथू पुत्र श्री रामचंद्र का वाद दायर करने से पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका है। जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 चौथू का नाम विलोपित करने हेतु गलत विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दीवानी अपील संख्या 15549/2017 SLP (C) 31212/2014 पंकजभाई रमेशभाई बनाम जेठाभाई कालाभाई जरिये विधिक प्रतिनिधि वगैरह में पारित न्यायिक दृष्टांत दिनांकित 03.10.2017 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि किसी पक्षकार का स्वर्गवास वाद प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुका है तो ऐसी स्थिति में आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना चाहिए, परंतु यदि किसी पक्षकार द्वारा गलत विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है तो प्रा. र्थना पत्र को केवल मात्र गलत विधिक प्रावधान अंकित किए जाने के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया/वादिया को आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, परंतु उसके द्वारा आदेश 22 नियम 2 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में यह न्यायालय इस प्रार्थना पत्र को केवल गलत विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किए जाने के आधार पर खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं समझती है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 चौथू का स्वर्गवास होना न्यायालय द्वारा जारी तामिल पर आया है एवं उभय पक्षों ने भी इसे स्वीकार किया है कि चौथू का स्वर्गवास वाद प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुका है। परिणामतः यह न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 चौथू का नाम डिलीट किए जाने का आदेश देती है एवं कार्यालय लिपिक को यह आदेशित करती है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 चौथू के नाम के आगे लाल पैन की स्याही से डिलीट नाम अंकित करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते प्रस्तुत होने जवाबदावा दिनांक ..... को पेश हो। (संदीप आनन्द)	